मोटर साईकिल पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार-द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आयें।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 19.03.2025 को नीलामी करायी गयी थी किन्तु किसी भी बोलीदाता द्वारा उक्त नीलामी में भाग नहीं लिया गया जिस कारण से वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी नहीं हो सकी।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु जनपद न्यायालय बागपत में प्रस्तावित कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेकों की पुनः नीलामी के सन्दर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 01.04.2025 के अनुपालन में नीलाम समिति को उक्त ठेकों की पुनः नीलामी खुली बोली द्वारा कराना उचित प्रतीत हो रहा है। नीलाम समिति द्वारा दिनांक 08.04.2025 को उक्त ठेकों की पुनः नीलामी जनपद न्यायालय बागपत परिसर स्थित सम्मेलन कक्ष में कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार एवं मोटर साईकिल पार्किंग के ठेकों की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि
01	कार पार्किंग	25000/- रूपये
02	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रूपये

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत हैः-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रूपये/वाहन
ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
साईकिल	05 रूपये/वाहन

नीलामी की शर्तें निम्नवत हैः-

1. यह वाहन पार्किंग ठेका नीलामी दिनांक से वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि (08 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) तक के लिये वैध होगा।
2. जिस ठेकेदार/फर्म के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी भी एक व्यक्ति/ फर्म द्वारा मोटरसाइकिल पार्किंग अथवा कार पार्किंग में से किसी एक पार्किंग स्थल के लिए ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. **वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिये कार पार्किंग की न्यूनतम बोली माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 3390/एडमिन. (बी.-I) सेक्शन दिनांकित 28.11.2024 के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अधिकतम बोली 392500/- रूपये में 10% की कमी करते हुये धनराशि अंकन 353250/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।**

7. **वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की न्यूनतम बोली माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 3390/एडमिन. (बी.-I) सेक्शन दिनांकित 28.11.2024 के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अधिकतम बोली 651000/- रूपये में 10% की कमी करते हुये धनराशि अंकन 585900/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।**
8. धरोहर धनराशि के रूप में अंकन 25000/- रूपये का डिमाण्ड डॉफ्ट जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में जमा किया जायेगा। सर्वाधिक बोली द्वारा ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति/फर्म द्वारा सर्वाधिक बोली का ¼ भाग तत्काल न्यायालय में जमा कराना होगा।
9. जिस ठेकेदार/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
10. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
11. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवटंन को निरस्त कर सकते है।
12. वाहन पार्किंग ठेकेदार/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
13. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये नहीं करेगा।
16. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

02/04/25

रजनीश कुमार-द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,
बागपत।

Rahul Kumar Singh 02.04.25
राहुल कुमार सिंह
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

02/04/25
पवन कुमार रॉय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved
02/4/2025